(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE- I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(51)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / /120 **Dated:** 14/10/20

Notification No. 49/2019 – State Tax

No.F3(51)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 9th October, 2019.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A,-

(a) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.**-For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.";

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.".

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 percent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.".

4. In the said rules, in rule 61,-

(a) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st July, 2017 namely:-

"(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 or in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by

notification, specify, be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in **FORM GSTR-3B** is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in **FORM GSTR-3.**";

(b) sub-rule (6) shall be omitted with effect from the 1st July, 2017.

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.".

6. In the said rules, in rule 91, -

(a) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice:" shall be inserted;

(b) after the sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The State Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).".

7. In the said rules, in rule 117, -

(a) in sub-rule (1A) for the figures, letters and word "31st March, 2019", the figures, letters and word "31st December, 2019" shall be substituted.

(b) in sub-rule (4), in clause (b),in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word "30th April, 2019", the figures, letters and word "31st January, 2020" , shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 142, -

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in **Part A** of **FORM GST DRC-01A.**";

(b) in sub-rule (2), after the words "in accordance with the provisions of the Act", the words, figures and brackets ", whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A)," shall be inserted;

(c) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in **Part B** of **FORM GST DRC-01A.**" .

9. In the said rules, after **FORM GST DRC-01,** the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST DRC-01A

Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)

[See Rule 142 (1A)]

Part A

No.: Date:

Case ID No.

To

GSTIN..............................

...Name..............................

...

Address..............................

Sub.: Case Proceeding Reference No..................- Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5) – reg.

Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5) / 74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:

Act	Period	Tax			
CGST Act					
SGST/UTGST Act					
IGST Act					
Cess					
Total					

The grounds and quantification are attached / given below:

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest in full by .... , failing which Show Cause Notice will be issued under section 73(1).

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by .... , failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by......... in Part B of this Form

Proper Officer

Signature.....................

Name........................

...

Designation.................

Upload Attachment

Part B

Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice
[See Rule 142 (2A)]

No.: Date:

To
Proper Officer,
Wing / Jurisdiction.

Sub.: Case Proceeding Reference No..................- Payment/Submissions in response to liability intimated under Section 73(5)/74(5) – reg.

Please refer to Intimation ID.............. in respect of Case ID..................vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs. .... through ....and the submissions regarding remaining liability are attached / given below:

OR

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

Authorised Signatory
Name................................
GSTIN................................
Address..............................

Upload Attachment".

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
14/X/20

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(51)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 120 **Dated:** 14/10/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.

14/x/20

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary Part IV, *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F. 3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342 , dated the 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 33/2019 - State Tax, dated the 24th June, 2020, published *vide* No.F3(12)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/7 , dated the 24th June, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली–110 002.

सं.फा. 3(51)/वित्त (राजस्व– I)/2020–21/डीएस–IV/120 दिनांकः 14/10/20

अधिसूचना संख्या 49/2019–राज्य कर

सं.फा. 3(51)/वित्त (राजस्व– I)/2020–21/डीएस–IV/ – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : –

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 09 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,–

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

""स्पष्टीकरण.– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ""कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा""से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।"";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

"(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।"।

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

""(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।"।

4. उक्त नियम के नियम 61 में, –

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, 1जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:–

""(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 या धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर –2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्ररूप जीएसटीआर –3ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ;

परंतु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है,वहाँ ऐसा व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर –3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।" ";

(ख) उपनियम (6) का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, खड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात: –

""(i) नियम 83 के उपनियम(1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।""।

6. उक्त नियम के नियम 91 में, –

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी,"संदाय आदेश जारी करेगा और"" शब्दों के पश्चात ""एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर"" शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: –

""(4) केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।""।

7. उक्त नियम के नियम 117 में, –

(क) उपनियम (1क) में, ""31 मार्च,2019"अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर " "31 दिसम्बर,2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

(ख) उपनियम (4) में, खंड (ख) के उपखंड (iii) के परंतुक में"30 अप्रैल,2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 जनवरी,2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

8. उक्त नियम के नियम 142 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

""(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के भाग क में संसूचित करेगा।"";

(ख) उपनियम (2) में,"अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम"" शब्दों के पश्चात",चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित,"शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तः स्थापित किए जाएँगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

""(2क) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के भाग ख में कर सकेगा।""।

9. उक्त नियम में,प्ररूप जीएसटी –डीआरसी– 01के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"प्ररूप जीएसटी –डीआरसी– 01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना

नियम 142 (1क)देखें,

भाग क

सं.:
तारीखः
मामला आईडीसं.
सेवा में,
जीएसटीआईएन.....................
नाम.................................
पता..............................

विषयः मामला कार्यवाही संदर्भ सं...................– धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित

कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73(5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर ध्ब्याज /शासति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

अधिनियम	अवधि	कर			

सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

आपको सलाह दी जाती है कि ......-- तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी ।

आपको सलाह दी जाती है कि ......-- तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी ।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चिय के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख में ......---तक प्रस्तुत किया जाए ।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.....................
नाम........................
पदनाम.................

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

खनियम142 (2क) देखें,

सं:
तारीख:
सेवा में,
उचित अधिकारी,
शाखा(विंग)/क्षेत्राधिकार ।

विषयः मामला कार्यवाही संदर्भ सं..................– धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन सूचित दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन – से संबंधित

कृपया मामला आईडी .... के संबंध में संसूचना आईडी..................-का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा73(5) / 74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था ।

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को............... रुपए के विस्तार तक............ ....--.........के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया /संलग्न है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.................................

जीएसटीआईएन...........................

पता...........................

संलग्नक अपलोड करें"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार 14/x/20

(मनोज कुमार)
उप सचिव– IV (वित्त)

सं.फा. 3(51) / वित्त(राजस्व–I) / 2020–21 / डीएस–IV / 120 दिनांक: 14/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. वेब साईट।
11. गार्ड फाइल।

मनोज कुमार 14/x/20

(मनोज कुमार)
उप सचिव– IV (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में अधिसूचना, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा स.फा. 3(10)/वित्त(राजस्व–I)/2017–.18/डीएस–VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सं.फा. 3(12)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डी.एस. IV/7, तारीख 24/06/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना स. 33/2019 – राज्य कर, तारीख 24/06/2020 के माध्यम से किया गया था ।